–जरिये ई–मेल–

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : स्था0/2024/18 दिनांक : 02.05.2024

:: कार्यालय आ दे श ::

वर्ष, 2024 के माह **मई** में दिनांक 31.05.2024 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये आवश्यक फौजदारी कार्य, रिमाण्ड, जमानत एवं अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन, धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन/धारा 176 दं.प्र.सं. की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिये निम्नलिखित तारीखों में उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट्स को न्यायालय में वक्त प्रातः 09.00 ए.एम. से दोपहर 12.00 पी.एम.तक करने के लिये अधिकृत किया जाता है–

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	ड्यूटी की दिनांक	मोबाईल नम्बर
1.	श्री आदित्य वशिष्ठ, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)	05.05.2024	9414034555
2	सुश्री अल्का मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवॉं (बून्दी)	11.05.2024 12.05.2024	7414018889
3	श्री हनुमान सहाय मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ (बून्दी)	19.05.2024	9509517697
4	श्रीमती अम्बिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी (बून्दी)	25.05.2024 26.05.2024	7838984403

नोट :–

1. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को जमानत, रिमाण्ड व आवश्यक उक्त कार्यो के लिये समस्त बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये **श्रीमती यशस्वी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम–2, जिला बून्दी** की ड्यूटी लगाई जाती है।

2– अभियुक्तगण को निर्धारित समय ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

3– उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी की पूर्वानुमति से अपने स्तर पर अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय सहमति के इस कार्यालय में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा। इस संबंध में अनावश्यक मौखिक वार्ता नहीं की जावे।

4– अवकाश के दिन यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो उनसे भी जमानत, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यो के लिये आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

5– अवकाश के दौरान प्रस्तुत एफ.आई.आर., रिमाण्ड कागजात एवं अन्य दस्तावेजात् आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

6– तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगायी गयी है, वही न्यायिक अधिकारी उक्त अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।

7– उक्त किसी भी अधिकारीगण का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा ही नियत अवधि में रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

2/5/24

(सृष्टि चौधरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2024/738-749 दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.

(2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यो के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यो के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें। (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी (7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी. (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा,बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।

2/5/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)